

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत मसूदा (अजमेर) राज० मुकदमा नं० मसूदा  
 बनाम श्री चेतन व अन्य  
 विरुद्ध मुकदमा नं० पुस 88.188 R-7A दिनांक 38/2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	बम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
14/5/18	<p>वकील काठी उपस्थित। जाल्य रिपोर्ट हो जमी ही प्रतिवादी सरख्या 35 हेर जाल्य पत्र धारा 80 (2) CPC को सलान हो। इनके हर न्यायवित्त में सुरक्षित रखेले हुये जाल्य पत्र स्वीकार किया जाता है। दावा इत रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलकी हेर सामग जारी हो। पत्रावली दिनांक 8/8/18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(सुरेश चावला)                  उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर                  मसूदा (अजमेर) राज०</p>	<p>दावा आगे श्री चलाता पत्र ही प्राप किया जाये</p>
17/5/18	<p>प्राथी व लाली उपस्थित/विपक्षी उपस्थित। जाल्य को लोक अदालत में पेश किया जाता है। जाल्य में देकर किया जाता है। जाल्य दिनांक 25/5/18 को लोक अदालत के समक्ष उपस्थित रहें।</p> <p style="text-align: center;">(सुरेश चावला)                  उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर                  मसूदा (अजमेर) राज०</p>	<p>सुलभ लक्ष्मी</p>
25/5/18	<p>पत्रावली आज लोक अदालत न्याय कक्षे हार जाल्य पत्रावली सुलभाज पीपलाज पत्र पेश हुये। पत्रावली सकार उपस्थित वाही स्वयं उपस्थित होकर निकट कि उक्त उक्त में आये</p>	<p>le</p>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज III of FORM	नम्बर अंक हु जारी
----------------	---	----------------------------

अब कोई कार्यवाही नहीं चल रही है। यह है (विष्णु) आदेशिका पर अंकित की कदी की पहचान संपन्न मात्र प्रचारित पीपलान के की है। कदी का निवेदन स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तथा कद पर घर कार्यालयी इलेक्ट्रिक के आदेश पारित किए जाते हैं। मिसल केसल सुमार होकर नजर है कम है। कद इफ्तर साखिल है। आदेश सुनाया गया।

(सुरेश चावला)  
 जज अति. एवं महाध्याय कालकर  
 मसुदा (अजमेर) जज

सदस्य  
 लोक अदालत  
 मसुदा (अजमेर)

